

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई चरौदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

E-mail ID - cmobhilaicharoda@gmail.com, www.nagarnigambhilaicharoda.com

मेयर- इन -काउंसिल की बैठक दिनांक 14.03.2022

प्रस्ताव कं. ६। वित्तीय वर्ष 2021-22 के पुनरीक्षित आय-व्यय एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुमानित आय-व्यय बजट निम्नानुसार है :-

आय के प्रमुख शीर्षवार निम्नानुसार है :-

विवरण	राशि (राशि रु. लाख में)
प्रारंभिक अवशेष	975.67
क नगर पालिका दर और कर	909.79
ख विशेष अधिनियमों के अधीन प्राप्तियाँ	2.85
ग नगर पालिका का सम्पत्ति से करारोपण को छोड़कर अन्य रश्रोतों से प्राप्त राजस्व	558.65
घ अनुदान और अंशदान	21342.30
ड जलकर	54.00
च बिजली	0.00
छ विविध	405.80
ज असाधारण और ऋण	1464.05
योग	25713.11

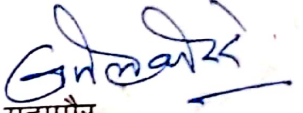
व्यय के प्रमुख शीर्षवार निम्नानुसार है :-

क सामान्य प्रशासन विभाग	1065.76
ख सार्वजनिक सुरक्षा	980.80
ग जन-स्वास्थ्य एवं सुविधाएँ	3640.80
घ लोक निर्माण	17358.50
ड सार्वजनिक शिक्षा	495.51
च विविध	687.75
छ असाधारण और ऋण	1459.70
ज योग	25688.82
अंतिम अवशेष	24.29

अतः उपरोक्त वित्तीय वित्तीय वर्ष 2021-22 के पुनरीक्षित आय-व्यय एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुमानित आय-व्यय बजट विचारार्थ मेयर-इन-काउंसिल में प्रस्तुत।

संकल्प कं. 0। प्रकरण प्रस्तुत हुआ विस्तृत चर्चा की गई, सक्षम स्वीकृति हेतु परिषद् में रखे जाने की अनुशंसा सर्वसम्मति से की गई।


सचिव


मेयर

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई चरौदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

E-mail ID - cmobhilaicharoda@gmail.com, www.nagarnigambhilaicharoda.com

भेयर- इन -काउंसिल की बैठक दिनांक 14.03.2022

प्रस्ताव
कं. 2

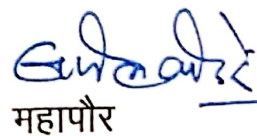
:- मान. मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक - 18.11.2021 को नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा हेतु की गई घोषणाओं के अनुपालन में विभिन्न कार्यों की शासन से स्वीकृति व अनुदान राशि उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव प्रेषित करने के संबंध में विचार। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा दिनांक - 18.11.2021 अनुसार नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न निर्माण/विकास कार्यों हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव तैयार किया गया है :-

क्र.	कार्य का विवरण	अनु. लागत राशि (₹ लाख में)
1	2	3
1	स्टेडियम निर्माण, भिलाई-03 हेतु	₹ 1,880.00
2	चरौदा ईस्ट खेल मैदान में बैठने हेतु स्टैण्ड निर्माण कार्य	₹ 50.00
3	सिरसागेट चौक सौन्दर्यीकरण कार्य	₹ 398.34
4	विभिन्न वार्ड पार्षदों द्वारा प्रस्तावित कार्य (संलग्न सूची अनुसार)	₹ 2,746.88
	कुल	₹ 5,075.22

उपरोक्तानुसार "विभिन्न निर्माण/विकास कार्यों" के लिए कुल लागत राशि ₹ 5,075.22 लाख (अक्षरी :- पचास करोड़ पचहत्तर लाख बाईस हजार रूपए) मात्र के कार्यों की शासन से स्वीकृति व अनुदान राशि की माँग हेतु प्रस्ताव प्रेषित किए जाने पर विचारार्थ प्रकरण प्रस्तुत।

संकल्प :- प्रकरण प्रस्तुत हुआ विस्तृत चर्चा की गई, "विभिन्न निर्माण/विकास कार्यों" के लिए कुल लागत राशि ₹ 5,075.22 लाख (अक्षरी :- पचास करोड़ पचहत्तर लाख बाईस हजार रूपए) मात्र के कार्यों की शासन से स्वीकृति व अनुदान राशि की माँग हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किए जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।


सचिव


महापौर

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई चरौदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

E-mail ID - cmobhilaicharoda@gmail.com, www.nagarnigambhilaicharoda.com

भय- इन -काउंसिल की बैठक दिनांक 14.03.2022

प्रस्ताव कं. 3 :- अधोसंरचना मद अन्तर्गत वर्ष 2016-17 में स्वीकृत कार्यों के शेष राशि से सिरसाचौक से जरवाय चौक तक मार्ग चौड़ीकरण कार्य हेतु CSPDCL द्वारा विद्युत पोल हटाए जाने का कार्य कराए जाने पर विचार एवं निर्णय।

छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, महानदी भवन, रायपुर का आदेश क्र./4488 दिनांक - 29.08.2020 द्वारा नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा क्षेत्रान्तर्गत जरवाय चौक से सिरसाचौक तक मार्ग चौड़ीकरण कार्य स्वीकृत हुआ है। उक्त कार्य की स्वीकृति में प्रस्तावित रोड के दोनों ओर मार्ग चौड़ीकरण में प्रभावित पोल एवं ट्रान्सफार्मर हेतु राशि स्वीकृत नहीं है। कार्य प्रगति हेतु उक्त पोल ट्रान्सफार्मर को शिफ्ट कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

कार्यालयीन पत्र क्र. 93 एवं 95 दिनांक - 14.06.2021 के द्वारा सहायक यंत्री, CSPDCL चरौदा ज़ोन के मुख्य मार्ग के दोनों तरफ स्थापित 33 KV Line, Transformer DP 11 KV Line तथा Feet Pole DP को व्यवस्थापित करने हेतु मांग पत्र दिए जाने हेतु प्रेषित किया गया।

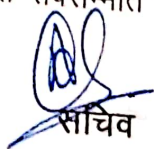
सहायक यंत्री, CSPDCL चरौदा ज़ोन के बैंक संज्ञापन पत्र क्र./885 एवं 886 दिनांक - 05.10.2021 के द्वारा क्रमशः सिरसाचौक से झीमसिटी, मुक्तिधाम तक के लिए राशि ₹ 35,53,729.00 एवं झीमसिटी, मुक्तिधाम से उमदा चौक तक के लिए राशि ₹ 44,90,002.00, इस प्रकार कुल राशि ₹ 80,43,731.00 का प्रभार प्रेषित किया गया है। उक्त राशि के भुगतान हेतु राशि की मांग बाबत राज्य शासन को पत्र क्र./1389 दिनांक - 29.10.2021 को प्रेषित किया गया है। अद्यतन राशि अप्राप्त है। वर्ष का अंतिम माह चल रहा है। राशि भुगतान CSPDCL को न किए जाने की स्थिति में अगले वित्तीय वर्ष में 10.00% से 20.00% अधिक राशि के भुगतान की आवश्यकता होगी। तत्संबंध में अधोसंरचना मद वर्ष 2016-17 की बचत राशि से उपरोक्तानुसार कार्य हेतु CSPDCL को बैंक संज्ञापन की राशि ₹ 80,43,731.00 का भुगतान किया जाना है।

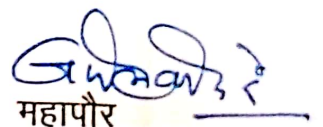
अधोसंरचना मद अन्तर्गत वर्ष 2016-17 में उप संचालक (अनुदान), संचा. नगरीय प्रशासन एवं विकास, छत्तीसगढ़, नया रायपुर के आदेश क्र./चार/ले.अनु./2016-17 /7883 नया रायपुर, दिनांक - 27.08.2016 द्वारा राशि ₹ 508.00 लाख एवं संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, छत्तीसगढ़, नया रायपुर के आदेश क्र./चार/ले.अनु./2016-17/10731 नया रायपुर, दिनांक - 16.11.2016 द्वारा राशि ₹ 607.91 लाख की स्वीकृति विभिन्न निर्माण/विकास कार्यों द्वारा प्रदान की गई थी। लेखा शाखा, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा से प्राप्त टीप अनुसार उक्त स्वीकृत कार्यों में संविदा एवं निविदा दर की राशि कम होने के कारण राशि ₹ 508.00 लाख में से राशि ₹ 73,43,142.00 एवं राशि ₹ 607.91 लाख में से राशि ₹ 21,27,783.00 इस प्रकार कुल राशि ₹ 94,70,925.00 (73,43,142.00 + 21,27,783.00 = 94,70,925.00) शेष है।

शासन के आदेश क्र./6012/4829/2020/18 नया रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ दिनांक - 25.11.2020 अनुसार शासन द्वारा वित्त घोषित योजनाओं में बचत राशि का उपयोग किए जाने की अनुमति/अनुमति हेतु नगर पालिक निगम के Mayor-In-Council (MIC) को विहीत शर्तों के अधीन अधिकृत किया गया है।

अतएव उपरोक्तानुसार शेष राशि ₹ 94,70,925.00 में से सिरसाचौक से झीमसिटी, मुक्तिधाम तक के लिए राशि ₹ 35,53,729.00 एवं झीमसिटी, मुक्तिधाम से उमदा चौक तक के लिए राशि ₹ 44,90,002.00, इस प्रकार कुल राशि ₹ 80,43,731.00 का भुगतान CSPDCL को किए जाने की अनुमति हेतु प्रकरण विचारार्थ एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत।

संकल्प कं. 3 :- प्रकरण प्रस्तुत हुआ विस्तृत चर्चा की गई, राशि ₹ 94,70,925.00 में से सिरसाचौक से झीमसिटी, मुक्तिधाम तक के लिए राशि ₹ 35,53,729.00 एवं झीमसिटी, मुक्तिधाम से उमदा चौक तक के लिए राशि ₹ 44,90,002.00, इस प्रकार कुल राशि ₹ 80,43,731.00 का भुगतान CSPDCL को किए जाने की अनुमति सर्वसम्मति से प्रदान की गई।


सचिव


महापौर

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई चरौदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

E-mail ID - cmobhilaicharoda@gmail.com, www.nagarnigambhilaicharoda.com

भयर- इन -काउंसिल की बैठक दिनांक 14.03.2022

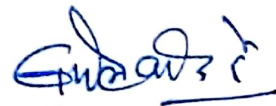
प्रस्ताव :- जाति प्रमाण पत्र बनाने बाबत।
कं. 04 निकाय क्षेत्र अंतर्गत निवासरत आवेदकों के जाति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन प्राप्त हुए हैं, कुल 08 आवेदनो में से 05 आवेदन सत्यापन समिति के परीक्षण पश्चात पात्र पाये गये हैं। अतः सक्षम स्वीकृति हेतु एम.आई.सी./परिषद् में रखा जाना प्रस्तावित है।

संकल्प :- प्रकरण प्रस्तुत हुआ विस्तृत चर्चा की गई, जाति प्रमाण पत्र हेतु कुल 08 आवेदनो में से 05 आवेदन सत्यापन समिति के परीक्षण पश्चात पात्र पाये गये, को जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाने के लिए सक्षम स्वीकृति हेतु परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करने की अनुशंसा सर्वसम्मति से प्रदान किया जाता है। जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	नाम	पिता का नाम	निवासी	जाति	पात्रता	रिमार्क
01	राकेश कुमार	श्री संतप्रसाद गजेन्द्र	सिरसाकला	मेहर	पात्र	
02	चन्द्रकांत गजेन्द्र	श्री संतप्रसाद गजेन्द्र	सिरसाकला	मेहर	पात्र	
03	दिपक कुमार	श्री संतप्रसाद गजेन्द्र	सिरसाकला	मेहर	पात्र	
04	भुपेन्द्र कुमार	स्व. संतराम मेहर	सिरसाकला	मेहर	पात्र	
05	हेमैन्द्र कुमार गजेन्द्र	स्व. संतराम मेहर	सिरसाकला	मेहर	पात्र	
06	कु. कीर्ति बंजारे	श्री लेखराम बंजारे	देवबलौदा	सतनामी	अपात्र	शपथ पत्र का आभाव
07	कु. दिव्या बंजारे	श्री लेखराम बंजारे	देवबलौदा	सतनामी	अपात्र	शपथ पत्र का आभाव
08	होरीलाल	श्री रत्तीराम	देवबलौदा	सतनामी	अपात्र	शपथ पत्र का आभाव

परिषद् के आगामी बैठक में रखे जानी की अनुशंसा सर्वसम्मति से की गई।


सचिव


महापौर

भेद्यर- इन -काउंसिल की बैठक दिनांक 14.03.2022

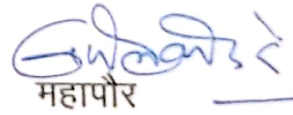
प्रस्ताव कं. 05 - वर्ष 1984 में प्रदत्त पट्टों का नवीनीकरण हेतु अभिमत/अनापत्ति देने बाबत।
नगर पालिक निगम भिलाई चरौदा क्षेत्रांतर्गत विभिन्न वार्डों में वर्ष 1984 में शासन द्वारा पट्टा प्रदाय किया गया है। उक्त पट्टों का नवीनीकरण किये जाने हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पाटन द्वारा अलग-अलग वार्डों की सूची प्रेषित की गई है। प्राप्त सूची में 165 हितग्राहियों को पट्टा नवीनीकरण हेतु निगम से अभिमत/अनापत्ति चाही गई है, ताकि पट्टा नवीनीकरण किया जा सके जिसकी सूची संलग्न है।

उपरोक्तानुसार प्रकरण एम.आई.सी की बैठक में रखा जाना प्रस्तावित है।

संकल्प कं. 05 - प्रकरण प्रस्तुत हुआ विस्तृत चर्चा की गई, उक्त प्रकरणों पर वर्ष 1984 के 165 पट्टों को छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न निर्देशों के तहत पट्टा भूमि की कैफियत नियमानुसार होने पर यदि उपरोक्त पट्टा का नवीनीकरण किया जाता है, तो इस निकाय को कोई आपत्ति नहीं है, का निर्णय एम.आई.सी द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया।

राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत पट्टा में जॉच/भौतिक सत्यापन पश्चात् आगामी एम.आई.सी की बैठक में रखे जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।


सचिव


महापौर